

1.	विभाग-	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मेरठ मण्डल, मेरठ (सिफसा)
2.	योजना का नाम-	प्रेरणा परियोजना
3.	योजना की संक्षिप्त टिप्पणी-	<p>यह परियोजना केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिये है। इस परियोजना में विवाह की आयु बढ़ाने एवं नव दम्पतियों में दो बच्चों के बीच अन्तर रखने व शिशुओं एवं माताओं के स्वास्थ्य हेतु जनसंख्या स्थिरता कोष द्वारा मण्डल के समस्त जनपदों <i>प्रेरणा परियोजना</i> को प्रारम्भ किया गया है।</p> <p>यदि दम्पति द्वारा ऊपर वर्णित प्रथम चार अर्हताओं पूर्ण किया जाता है तो पुरस्कार की धनराशि निम्नवत् होगी-</p> <p>यदि पहला बच्चा लड़की हो तो, 12000/-</p> <p>यदि पहला बच्चा लड़का हो तो, 10,000/-</p> <p>यदि दोनों बच्चे लड़कें हों तो, 15,000/-</p> <p>यदि लड़की या लड़के का जन्म होतो 17,000/-</p> <p>यदि दोनों बच्चे लड़की हो तो 19,000/-</p>
4.	पात्रता की अर्हता-	<ol style="list-style-type: none"> 1. दम्पति गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए। 2. महिला का विवाह 2011 से पूर्व नहीं होना चाहिए। 3. महिला का विवाह 19 वर्ष के या उसके उपरान्त होना चाहिए। 4. पहले बच्चे का जन्म विवाह के 2 वर्ष उपरान्त होना चाहिए। 5. दूसरे बच्चे का जन्म पहले बच्चे के 3 वर्ष बाद होना चाहिए।
5.	आवेदन करने की प्रक्रिया-	<p>उक्त परियोजना का लाभ उठाने के हेतु दम्पति द्वारा निम्न दस्तावेज जमा किये जाने आवश्यक हैं-</p> <p>प्रेरणा प्रार्थना जमा करने हेतु निम्न व्यवस्थायें।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अभ्यर्थी को प्रेरणा पुरस्कार हेतु निर्धारित प्रार्थना-पत्र को भरा जाना होगा। 2. अभ्यर्थी द्वारा समस्त जरूरी दस्तावेज प्रार्थना-पत्र के साथ जमा किये जाने किये जाने आवश्यक होंगे। 3. भरे हुए प्रार्थना-पत्र समस्त जरूरी दस्तावेजों के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जमा होंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा समस्त आवेदन पत्रों की जाँच कर संस्तुति सहित सिफसा कार्यालय को प्रेरणा पुरस्कार हेतु भेजी जायेगी।
6.	लिंक वेबसाईट	http://sifpsa.org/
7.	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा अपर निदेशक, चिकित्सा, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है।